

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2011—अग्रहायण 3, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 24419-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है।

धारा ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे, प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक् स्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय-सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी।”.

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

“(एक) उपधारा (१) में, परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन का, जो कि रद्द कर दिया गया हो या निश्चित की गई समय-सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे।”;

(दो) उपधारा (३) में, परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि द्वितीय अपील प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई ऐसी अपील का, जो कि रद्द कर दी गई हो या प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष निश्चित की गई समय-सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे।”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विनिश्चय किया गया है कि सेवाओं के प्रदाय किए जाने को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदाभिहित अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी के साथ पालन करें, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) में यथोचित संशोधन किए जाएं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १८ नवम्बर, २०११

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ (१) के द्वारा अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने संबंधी आवेदन को प्राप्त करने के लिए, अधिकारी, पदाधिकारी विधेयक करने एवं उसकी समय-सीमा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

राजकुमार पांडे प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.